कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 316/2026

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 14.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक–14.08.2026
थाना–तरवां एवं मेहनगर, जनपद–आजमगढ़

➡ **पुलिस मुठभेड़ में टप्पेबाजी करने वाली अंतरजनपदीय गैंग के 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**

➡ **पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने वाले 02 अभियुक्त जवाबी कार्यवाही में पैर में गोली लगने से घायल व 01 अभियुक्त गिरफ्तार**

➡ **02 तमंचा .315 बोर, 02 खोखा कारतूस, 02 जिन्दा कारतूस, पल्सर मोटरसाइकिल एवं ₹6,500/- नगद बरामद**

➡ **टप्पेबाजी से सम्बन्धित मंगलसूत्र, कान के झुमके एवं कनफूल सहित पीली धातु तथा सफेद धातु के आभूषण बरामद**

➡ **थाना तरवां, चिरैयाकोट (मऊ) एवं दुल्लहपुर (गाजीपुर) क्षेत्र में घटित टप्पेबाजी की घटनाओं का खुलासा**

पूर्व की घटना/इतिहास-

➡*दिनांक 03.08.2026 को खरिहानी तिराहा, **थाना चिरैयाकोट, जनपद मऊ** में* तीन अभियुक्तों द्वारा पल्सर मोटरसाइकिल से बस से उतरी एक महिला को पॉलिथीन में कागज की गड्डी को रुपये की गड्डी बताकर तथा रुपये गिरने का झांसा देकर भ्रमित किया गया। इसके बाद महिला का मंगलसूत्र, पायल, चांदी की चेन तथा पर्स में रखे ₹4,000/- लेकर फरार हो गये। अभियुक्तों के अनुसार मंगलसूत्र को ₹10,000/- में बेच दिया गया था, जबकि बरामद ₹5,000/- नगद, एक जोड़ी पायल एवं चांदी की चेन इसी घटना से सम्बन्धित हैं। जिसके संबंध में थाना चिरैयाकोट, जनपद मऊ में मु0अ0सं0-89/2026, धारा 304 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

➡*दिनांक 07.08.2026 को कंचनपुर बाजार, **थाना तरवां, जनपद आजमगढ़** में* तीन अभियुक्तों द्वारा पॉलिथीन में कागज की गड्डी रखकर उसे रुपये की गड्डी बताकर एक महिला को भ्रमित किया गया तथा उसके पहने हुए सोने के कनफूल उतरवाकर झांसे से ले लिये गये। बरामद एक जोड़ी सोने के कनफूल इसी घटना से सम्बन्धित पाये गये। जिसके संबंध में थाना तरवां में मु0अ0सं0-173/2026, धारा 304 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

➡*दिनांक 07.08.2026 को **दुल्लहपुर रेलवे स्टेशन के सामने, जनपद गाजीपुर*** में इसी दिन तीनों अभियुक्तों द्वारा दुल्लहपुर रेलवे स्टेशन के सामने एक महिला को इसी प्रकार रुपये की गड्डी का झांसा देकर भ्रमित किया गया तथा उसका पर्स लेकर फरार हो गये। पर्स में सोने का मंगलसूत्र, सोने के कान के झुमके, कपड़े एवं ₹3,000/- नगद थे। बरामद ₹1,500/- नगद, मंगलसूत्र एवं कान का झुमका इसी घटना से सम्बन्धित हैं। जिसके संबंध में **थाना दुल्लहपुर, जनपद**

गाजीपुर में मु0अ0सं0-214/2026, धारा 318(4) बीएनएस पंजीकृत कर पुलिस टीमों द्वारा लगातार दबिश दी जा रही थी।

विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण मुकेश यादव पुत्र अनिल यादव, कमलेश राम पुत्र स्व0 फतिंगन राम, विकास यादव पुत्र नमस्ते यादव का नाम प्रकाश में आया। जिनकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों द्वारा लगातार दबिश दी जा रही थी।

पुलिस मुठभेड़ का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़, डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों एवं इनामिया अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 13.08.2026 को थानाध्यक्ष तरवां राजीव कुमार सिंह मय पुलिस बल के साथ व चौकी प्रभारी बोगरिया उ0नि0 कृष्ण कुमार मिश्रा मय क्षेत्र में देखभाल, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान पूर्व में हुई टप्पेबाजी की घटना के सम्बन्ध में तलाश/खोजबीन करते हुए मौके पर पहुंचे। तभी सूचना प्राप्त हुई कि पूर्व में चिन्हित किये गये तीन संदिग्ध व्यक्ति काले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल से चिरैयाकोट की तरफ से बोगरिया की ओर आ रहे हैं तथा उनके पास अवैध असलहा भी है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर चेकिंग प्रारम्भ की गयी।

कुछ समय बाद काले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल आती दिखाई दी। पुलिस टीम द्वारा टॉर्च की रोशनी से रुकने का इशारा किया गया तो मोटरसाइकिल सवार बदमाशों द्वारा भागने का प्रयास किया गया। इसी दौरान मोटरसाइकिल फिसलकर गिर गयी तथा एक बदमाश अंधेरे का लाभ उठाकर खेत की ओर भाग गया। इसी दौरान एक बदमाश द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने लगा । पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ नियंत्रित जवाबी कार्रवाई की गयी, जिसमें अभियुक्त मुकेश यादव पुत्र अनिल यादव, निवासी ग्राम सुखडेहरा, थाना भांवरकोल, जनपद गाजीपुर, उम्र करीब 25 वर्ष के दाहिने पैर में घुटने के नीचे गोली लगी। दूसरे अभियुक्त कमलेश राम पुत्र स्व0 फतिंगन राम, निवासी ग्राम किशुनपुरा, पोस्ट सुखडेहरा, थाना भांवरकोल, जनपद गाजीपुर, उम्र करीब 26 वर्ष को समय लगभग 10: 08 बजे रात्रि में मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। घायल अभियुक्त को तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।
मुठभेड़ के दौरान फरार हुए अभियुक्त की तलाश हेतु जनपद के अन्य थानों को सूचना देकर पुलिस टीमों द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही थी।

➡ इसी क्रम में दिनांक 13 /14.08.2026 की रात्रि में थानाध्यक्ष मेहनगर अभिराज सरोज मय हमराह पुलिस बल के साथ क्षेत्र में देखभाल, तलाश वांछित/वारण्टी एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग हेतु बोगरिया से सिंहपुर आने वाले शिवरामपुर नहर पुलिया के पास चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान उ0नि0 मयंक नारायण सिंह मय हमराह मौके पर पहुंचे। पुलिस टीम को आरटी सेट के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना तरवां क्षेत्र में पुलिस को चकमा देकर अंधेरे का लाभ उठाते हुए फरार हुआ अभियुक्त मेहनगर थाना क्षेत्र की ओर आ सकता है।

कुछ समय बाद शिवरामपुर नहर के रास्ते से एक संदिग्ध व्यक्ति पैदल आता दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा उसे रुकने के लिए कहा गया तो वह पीछे मुड़कर भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा पीछा किये जाने पर भाग रहे व्यक्ति ने पीछे मुड़कर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने लगा । पुलिस टीम द्वारा पर्याप्त चेतावनी के पश्चात आत्मरक्षार्थ नियंत्रित जवाबी कार्रवाई की गयी, जिसमें अभियुक्त विकास यादव पुत्र नमस्ते यादव, निवासी ग्राम सुखडेहरा, थाना भांवरकोल, जनपद गाजीपुर, उम्र करीब 22 वर्ष के दाहिने पैर में घुटने के नीचे गोली लगी। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को समय लगभग 11:50 बजे रात्रि में मौके से घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। जिसके कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस एवं ₹5,000/- नगद बरामद हुआ। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु सीएचसी मेहनगर भेजकर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

घायल/ गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. मुकेश यादव पुत्र अनिल यादव, निवासी ग्राम सुखडेहरा, थाना भांवरकोल, जनपद गाजीपुर, उम्र करीब 25 वर्ष। (घायल अभियुक्त)
2. कमलेश राम पुत्र स्व0 फतिंगन राम, निवासी ग्राम किशुनपुरा, पोस्ट सुखडेहरा, थाना भांवरकोल, जनपद गाजीपुर, उम्र करीब 26 वर्ष।

3. विकास यादव पुत्र नमस्ते यादव, निवासी ग्राम सुखडेहरा, थाना भांवरकोल, जनपद गाजीपुर, उम्र करीब 22 वर्ष। (घायल अभियुक्त)

बरामदगी का विवरण-

- 02 तमंचा .315 बोर, 02 खोखा कारतूस .315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर।
- 01 पल्सर मोटरसाइकिल नं0 UP61BJ6918, एवं ₹6,500/- नगद।
- 01 मंगलसूत्र पीली धातु, 01 जोड़ी कान का झुमका पीली धातु।
- 01 जोड़ी कान का कनफूल पीली धातु, 01 लाकेट पीली धातु।
- 01 जोड़ी पायल सफेद धातु, 01 अदद चेन सफेद धातु।

पूछताछ में घटनाओं का खुलासा-

➡गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि वे तीनों एक ही गांव के रहने वाले हैं तथा गैंग बनाकर गाजीपुर, आजमगढ़ एवं मऊ जनपद के आसपास के क्षेत्रों में महिलाओं को चिन्हित कर टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। अभियुक्तगण पॉलिथीन में कागज की गड्डी बनाकर उसे रुपये की गड्डी बताकर महिलाओं को भ्रमित करते थे। इसके बाद महिलाओं से उनके आभूषण उतरवाकर झोले में रखवाते तथा मौका पाकर आभूषण निकाल लेते थे। आभूषण निकालने में सफल न होने पर झोला ही झपटकर फरार हो जाते थे तथा कभी-कभी बाजारों में महिलाओं के पहने हुए आभूषणों पर झपट्टा मारकर भी घटनाएं करते थे। प्राप्त आभूषणों को सोनार को बेचकर प्राप्त धनराशि आपस में बांट लेते थे।

➡ पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा दिनांक 03.08.2026 को थाना चिरैयाकोट, जनपद मऊ के खरिहानी तिराहे पर एक महिला को भ्रमित कर उसका मंगलसूत्र, पायल, चांदी की चेन एवं ₹4,000/- नगद ले जाने की घटना स्वीकार की गयी। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना चिरैयाकोट पर मु0अ0सं0 89/2026 धारा 304 बीएनएस पंजीकृत है। इस घटना से सम्बन्धित ₹5,000/- नगद, एक जोड़ी पायल एवं चांदी की चेन बरामद की गयी है।

➡दिनांक 07.08.2026 को थाना तरवां क्षेत्र के कंचनपुर बाजार में एक महिला को कागज की गड्डी को रुपये बताकर भ्रमित कर उसके कान के कनफूल उतरवाकर ले जाने की घटना स्वीकार की गयी। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना तरवां पर मु0अ0सं0 173/2026 धारा 304 बीएनएस पंजीकृत है। इस घटना से सम्बन्धित एक जोड़ी कान का कनफूल बरामद हुआ है।

➡इसी दिन थाना दुल्लहपुर, जनपद गाजीपुर क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के सामने एक महिला को इसी प्रकार भ्रमित कर उसके पर्स से सोने का मंगलसूत्र, कान का झुमका, कपड़े एवं ₹3,000/- नगद ले जाने की घटना स्वीकार की गयी। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना दुल्लहपुर पर मु0अ0सं0 214/2026 धारा 318(4) बीएनएस पंजीकृत है। इस घटना से सम्बन्धित मंगलसूत्र, कान का झुमका एवं ₹1,500/- नगद बरामद हुआ है।

अपराधिक इतिहास-

1. मुकेश यादव पुत्र अनिल यादव, निवासी ग्राम सुखडेहरा, थाना भांवरकोल, जनपद गाजीपुर

1. मु0अ0सं0 173/2026 धारा 304 बीएनएस, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 89/2026 धारा 304 बीएनएस, थाना चिरैयाकोट, जनपद मऊ।
3. मु0अ0सं0 214/2026 धारा 318(4) बीएनएस, थाना दुल्लहपुर, जनपद गाजीपुर।
4. मु0अ0सं0 173/2026 में धारा 109(1) बीएनएस, धारा 3/25 व 5/27 आर्म्स एक्ट तथा धारा 317(4) बीएनएस, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।

2. कमलेश राम पुत्र स्व0 फतिंगन राम, निवासी ग्राम किशुनपुरा, थाना भांवरकोल, जनपद गाजीपुर

1. मु0अ0सं0 173/2026 धारा 304 बीएनएस, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 89/2026 धारा 304 बीएनएस, थाना चिरैयाकोट, जनपद मऊ।
3. मु0अ0सं0 214/2026 धारा 318(4) बीएनएस, थाना दुल्लहपुर, जनपद गाजीपुर।
4. मु0अ0सं0 173/2026 में धारा 109(1) बीएनएस, धारा 3/25 व 5/27 आर्म्स एक्ट तथा धारा 317(4) बीएनएस, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।

3. विकास यादव पुत्र नमस्ते यादव, निवासी ग्राम सुखडेहरा, थाना भांवरकोल, जनपद गाजीपुर

1. मु0अ0सं0 89/2026 धारा 304 बीएनएस, थाना चिरैयाकोट, जनपद मऊ।
2. मु0अ0सं0 173/2026 धारा 304 बीएनएस, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 214/2026 धारा 318(4) बीएनएस, थाना दुल्लहपुर, जनपद गाजीपुर।
4. मु0अ0सं0 285/2026 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग एवं विधिक कार्यवाही-

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना तरवां पर पंजीकृत मु0अ0सं0 173/2026 धारा 304 बीएनएस में धारा 109(1) बीएनएस, धारा 3/25 व 5/27 आर्म्स एक्ट तथा धारा 317(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया । वहीं अभियुक्त विकास यादव के विरुद्ध थाना मेहनगर पर मु0अ0सं0 285/2026 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है।

बरामद पल्सर मोटरसाइकिल नं0 UP61BJ6918 को धारा 207 एमवी एक्ट के अन्तर्गत सीज कर कब्जा पुलिस में लिया गया है। ई-चालान ऐप के माध्यम से वाहन चेक किये जाने पर उक्त वाहन विमलेश कुमार राम पुत्र फतिंगन राम, निवासी ग्राम किशुनपुरा सुखडेहरा, थाना भांवरकोल, जनपद गाजीपुर के नाम पंजीकृत पाया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना तरवां-

थानाध्यक्ष तरवां राजीव कुमार सिंह, चौकी प्रभारी बोगरिया उ0नि0 कृष्ण कुमार मिश्रा, उ0नि0 अतुल कुमार मिश्रा, उ0नि0 गुलाबधर पाण्डेय, हे0का0 नित्य प्रकाश, का0 अजय यादव, का0 श्रवण तिवारी, का0 शहबाज अहमद, का0 जितेन्द्र निषाद, का0 कमलेश कुमार, का0 ज्ञानेश त्रिपाठी, का0 रामचन्दर प्रजापति, का0 विपिन यादव, हे0का0 अमरजीत कुमार, म0का0 ममता पाण्डेय, म0का0 कु0प्रिया थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना मेहनगर-

थानाध्यक्ष मेहनगर अभिराज सरोज, उ0नि0 मयंक नारायण सिंह, उ0नि0 अवधेश नारायण यादव, का0 अब्दुल अहद, का0 प्रवीण यादव, का0 सौरभ जायसवाल, का0 गिरजेश यादव, का0 अभिषेक यादव, का0 सुनील कुमार थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़।